न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. सरुपी पुत्र श्रीफूल
2. ख्याली पुत्र श्रीफूल (फौत)
   - 2/1 विशेष पुत्र ख्याली
   - 2/2 रविन्द्र पुत्र ख्याली
   - 2/3 विनीता पुत्री ख्याली
   - 2/4 पीतम देवी पत्नि ख्याली

   जाति गूजर निवासी बाढ़ गुलाल तहसील करौली
3. वचन पुत्र श्रीफूल
4. भवन्ती पुत्री श्रीफूल पत्नि कल्याण गुर्जर नि. रूदौड़, तहसील करौली
5. केसूला पुत्री श्रीफूल पत्नि अमरसिंह गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील हिण्डौन सिटी
6. जनता पुत्री श्रीफूल पत्नि बहादुर गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील हिण्डौन सिटी – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–10.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 55, 58 रकबा क्रमशः 0–04, 0–04 बीघा ग्राम बाढ़गुलाल तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 55, 58 रकबा क्रमशः 0–04, 0–04 बीघा ग्राम बाढ़गुलाल सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण सख्या 8 से किस्म बारानी 2 से श्रीफूल पुत्र भौरू जाति गुर्जर नि. बाढगुलाल के नाम जरिये नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 तक में जरिये विरासत सरुपी, ख्याली, वचन पि. श्रीफूल, भवन्ती, केसूला, जनता पुत्रियां श्रीफूल जाति गूजर निवासी बाढ़गुलाल (देवताओं से संबंधित जोत) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 55, 58 रकबा क्रमशः 0–04, 0–04 बीघा बाके ग्राम बाढ़गुलाल को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2074–77 नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 25.10.1977, 24/21.10.2001 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/4 व 3 तथा 4 को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की सम्यक् तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण ना तो उपस्थित हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/4 व 3 तथा 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही अब न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का

जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वक्त बहस अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 55, 58 रकबा क्रमशः 0–04, 0–04 बीघा गै.मु. नली दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु नामांतरकरण सख्या 8 से किस्म बारानी 2 से श्रीफूल पुत्र भौरू जाति गुर्जर नि. बाढगुलाल के नाम जरिये नियमन से दर्ज कर दिया गया। नकल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 तक में जरिये विरासत सरुपी, ख्याली, वचन पि. श्रीफूल, भवन्ती, केसूला, जनता पुत्रियां श्रीफूल जाति गूजर निवासी बाढ़गुलाल (देवताओं से संबंधित जोत) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नली दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बाढ़गुलाल की आराजी खसरा नंबर 55, 58 रकबा क्रमशः 0–04, 0–04 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नली दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:40:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: